विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सैंज जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा नियमों, निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण परिहार्य भुगतान, अवसूली/अल्प वसूली तथा निष्फल व्यय के मामलों से सम्बन्धित ₹728.04 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से अंर्तग्रस्त 11 परिच्छेद सम्मिलित है, जिनके परिणामस्वरूप कम्पनियों/ निगमों को हानि हुई।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

1.1 विद्युत क्षेत्र कम्पनियां

राज्य सरकार के पास चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियां है, एक कम्पनी (ब्यास वैली विद्युत निगम लिमिटेड) ने 2017-18 तक कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की।

31 मार्च 2018 को, चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश(इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹12,114.52 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के प्रति 25.69 *प्रतिशत* तथा दीर्घावधि ऋण में 74.31 *प्रतिशत* शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 67.75 *प्रतिशत* (₹6,099.10 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 32.25 *प्रतिशत* (₹2,902.86 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था। तथापि, 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 15 सितम्बर 2015 को उज्जवल डिस्कॉम ऐश्योंरस योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम के बकाया ऋण ₹3,854 करोड़ का ₹2,890.50 करोड़ (75 *प्रतिशत*) लिया है।

(परिच्छेद 1.2 एवं 1.3)

1.2 विद्युत क्षेत्र कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य उपक्रम

31 मार्च 2018 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रम थे, जो विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 1967-68 से 2017-18 की अवधि के दौरान समाविष्ट किया गया था और इसमें 19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम, अर्थात हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम एवं हिमाचल सड़क परिवहन निगम सम्मिलित थे। सरकारी कम्पनियों में दो गैर-कार्यात्मक कम्पनियां (एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड) सम्मिलित थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड) को समाविष्ट किया गया था।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)में से राज्य सरकार ने केवल 18 राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निधियों का निवेश किया क्योंकि राज्य सरकार ने तीन सरकारी कम्पनियों में कोई निवेश नहीं किया।

(परिच्छेद 4.1)

31 मार्च 2018 तक, इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों) ₹1,491.98 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के प्रति 69.38 *प्रतिशत* तथा दीर्घावधि ऋणों में 30.62 *प्रतिशत* शामिल

थे। राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 47.14 *प्रतिशत* (₹215.39 करोड़) था, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 52.86 *प्रतिशत* (₹241.52 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

निवेश 2013-14 के ₹1,070.88 करोड़ से 39.32 *प्रतिशत* बढ़कर 2017-18 में ₹1,491.98 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों के प्रति क्रमश: ₹186.28 करोड़ और ₹234.82 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश बढ़ गया।

(परिच्छेद 4.4)

2. सैंज जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड ने 100 मेगा वाट की प्रतिष्ठापन क्षमता वाली सैंज जल विद्युत परियोजना (परियोजना) को लागू किया। ₹676.29 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना नियत था, परन्तु यह परियोजना 29 महीनें के विलम्ब के पश्चात् सितम्बर 2017 में ₹1,319.33 करोड़ की लागत से शुरू की गई। परिणामत: ₹4.30 प्रति यूनिट प्रचलित औसत बिक्री दर के प्रति उत्पादन लागत ₹3.74 से ₹6.23 प्रति यूनिट हो गई, जिससे परियोजना व्यावसायिक रूप से प्रभावित हुई। परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्य-योजना, निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन तथा निगरानी को सम्मिलित किया गया था।

मुख्य बातें

भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त एशियाई विकास बैंक ऋण जो 90 *प्रतिशत* अनुदान (₹659 करोड़) तथा 10 *प्रतिशत* ऋण (₹73.22 करोड़) के रूप में था, को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹272.80 करोड़ के ब्याज सहित ₹931.80 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा तथा उत्पादन लागत में ₹4.40 प्रति युनिट की वृद्धि हुई।

₹676.29 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वे प्रति, परियोजना ₹1,319.33 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई। फलत: विद्युत की चालू बिक्री दर को देखते हुए, लागत वृद्धि न होने के लिए परियोजना लागत पांच वर्षों के बजाय साढ़े नौ वर्षों में वसूल किया जाना प्रत्याशित है। अत: परियोजना लागत की वसूली में साढ़े चार वर्षों का विलम्ब होगा जो परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता को सीधे-सीधे प्रभावित करेगा।

कम्पनी द्वारा ठेकेदार को कार्य स्थल पर पहुंच प्रदान करने में विलम्ब, स्थानीय निवासियों द्वारा कार्य रूकवाना, गैस इनसुलेटेड स्विच गियर एवं पॉट हेड यार्ड की डिजाईन व स्थान में परिवर्तन करने से कम्पनी ने कार्य को 29 महीने की समयवृद्धि में पूर्ण किया। परियोजना को ₹643.04 करोड़ की अधिक लागत वृद्धि के साथ पूरा किया गया था। फलत: प्रति यूनिट उत्पादन लागत प्रचलित औसत बिक्री दर ₹4.30 प्रति यूनिट के प्रति ₹3.74 से बढ़कर ₹6.23 प्रति यूनिट हो गई।

(परिच्छेद 2.7.1)

हमने निम्न तथ्य भी देखे:

₹13.60 करोड़ मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान किया।

(परिच्छेद 2.12.3)

उपयुक्त खण्ड न लगाने से कम्पनी के हितों की रक्षा नहीं हुई जिससे परियोजना पर ₹18.82 करोड़ का अधिक बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.13)

3. अनुपालना लेखापरीक्षा

ब्यास वैली विद्युत निगम, खुले बाजार से खरीदी गई बजरी व रेत की अंतर लागत पर काम करने के लिए खदान स्थल पर बजरी व रेत की विश्लेषित लागत में रॉयल्टी शुल्क जोड़ने में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹75.02 लाख की अन्तर लागत का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक निगम द्वारा अप्रैल 2013 में जारी इसके टैरिफ आदेश में निर्धारित सीमा के अनुसार तीन उपभोक्ताओं से संविदा मांग प्रभारित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान ₹1.97 करोड़ की संविदा-मांग की अल्प-वसूली हुई। यह हानि भविष्य में बढ़ जाएगी क्योंकि यह अल्प वसूली सतत् जारी रहेगी जब तक कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई न की जाएगी।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, संविदा-अनुबंध के नियम व शर्तो के अनुसार, दस्तावेजी प्रमाण की अनुपस्थिति में ठेकेदार के बिलों से उत्पाद शुल्क के संघटक को काटने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹42.77 लाख के उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड विद्युत खरीद अनुबंधों को लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने से पूर्व हस्ताक्षरित करने में विफल रही, जो कि लम्बी अवधि अभिगम अनुबंध हेतु पूर्वापेक्षित थी, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत खरीद अनुबंध की अनुपस्थिति में अनुमोदन निरस्त होने के पश्चात् पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति व शूल्क की जब्ती के कारण ₹37.41 लाख की परिहार्य हानि हुई।

(परिच्छेद 3.4)

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड की विफलता से विजिओ सॉफ्टवेयर को अनावश्यक रूप से शामिल करके अतिरिक्त लागत को शामिल करके से अपने वित्तीय हितों को हासिल करने में विफल रही जिससे ₹27.82 लाख के ब्याज की हानि के साथ ₹84 लाख की गैर-वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.1)

मासिक बिक्री पर मात्रा में छूट की अनुमति देते हुए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा क्रेडिट बिक्री का गैर-समायोजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹55.65 लाख की अधिक अनुमत नगद छूट हुई।

(परिच्छेद 5.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विगत तीन वर्षों के दौरान 448 निक्षेप कार्यों को निष्पादित किया जिनमें से 92 कार्यों की नमूना-जांच की गई तथा यह पाया गया कि तकनीकी संस्वीकृति से पूर्व कार्यों का निष्पादन किया गया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन कुशल तथा प्रभावी नहीं था क्योंकि यह प्राप्त धन राशि तव व्यय को रोकने (बांधने) में (प्राप्त निधियों से ₹21.29 करोड़ अधिक) तथा सम्बन्धित ग्राहकों से ₹12.43 करोड़ की बचत समय पर वापस लेने में विफल रही। अनुबंध के नियमों का पालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹4.23 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/व्यय हुआ। निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त व प्रभावहीन था क्योंकि कम्पनी ने कार्य प्रगति की निगरानी नहीं की थी तथा इसके सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित करने में विफल रही।

(परिच्छेद 5.5)

हिमाचल पथ परिवहन निगम का प्रबंधन, किराए के माध्यम से यात्रियों से सेवा-कर के संग्रहण हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप विलम्बित अवधि के लिए ₹1.04 करोड़ की सेवा-कर की राशि का संग्रह नहीं हुआ। इसके अलावा, सेवा-कर के लम्बित भुगतान पर जुर्माना व ब्याज लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(परिच्छेद 5.6)

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सभी रीचेस/स्ट्रीचेस में स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान न देने से भारतीय सड़क महासभा तथा सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों के गैर अनुपालन के कारण दानेदार उप आधार में 15,988.932 घन मीटर की वृद्धि की ओर ले गया जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹93.37 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, 8 *प्रतिशत* के बजाय 20 *प्रतिशत* ऊपरी दर लागू की गई जिससे ठेकेदार को ₹8.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ तथा यह भविष्य में कार्य पूर्ण होने पर बढ़ जाएगा।

(परिच्छेद 5.7)

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति